न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/67/2015	26–10–2015	17–05–2018

1–कैलाशचंद पुत्र रामजीलाल जाति सोमवंशी निवासी लीली हाल लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1– धर्मेन्द्र पुत्र श्री बृजलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0

2–जयप्रकाश पुत्र श्री रामजीलाल जाति सोमवंशी निवासी लीली हाल लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर हाल जयपलटन के पास, अलवर राज0

3–मनोज पुत्र रामजीलाल जाति सोमवंशी निवासी लीली हाल लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0

4–तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 21.09.2015 नामान्तकरण संख्या 3040 ग्राम लक्ष्मणगढ तह0 कठूमर जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री देवेन्द्र कुमार जैन

–वकील अपीलान्टस

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 21.09.2015 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 3040 ग्राम लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1153 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 1157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1268 रकबा 7 बिस्वा के 1/7 हिस्से, 1156 रकबा 4 बीघा का 1/7 हिस्से, 1273 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1274 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 1275 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के 1/27 हि0 वाके ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ की आराजी का इंतकाल संख्या 3040 रेस्पौ0 संख्या 1 के पक्ष में बयनामा दिनांक 09.10.2014 के अनुसार दर्ज कर स्वीकार कर दिया। बयनामा अनुसार रेस्पौ0 सं. 1 को विवादित आराजी पर किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं था। रेस्पौ0 संख्या 2 लगा 3 ने रेस्पौ0 1 को विवादित आराजी का उपरोक्त हिस्सा अनुसार बयनामा कराया जो गैर कानूनी है। विवादित आराजी अपीलांट संख्या 2, 3 व अन्य व्यक्तियों की सामलाती आराजी है। बिना विभाजन कराये विवादित आराजी का तरफ उत्तर का हिस्सा विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। सहकाश्तकार का विवादित आराजी के हर इंच पर कब्जा है। विवादित आराजी अविभाजित है जिसका बटवारा भी नहीं हुआ है। इसलिए रेस्पौ0 संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पौ0 सं. 1 को तरफ उत्तर की आराजी को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पौ0 सं. 4 ने गैर कानूनी तरीके से रेस्पौ0 संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल संख्या 3040 स्वीकार किया है, जो निरस्त करने योग्य है। अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। रेस्पौ0 सं. 1

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

इंतकाल संख्या 3040 में तरफ उत्तर आराजी से अपीलांट को बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश में है। अतः इंतकाल संख्या 3040 दिनांक 21.09.2015 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पौ0 संख्या 1 ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि रेस्पौ0 द्वारा उक्त आराजी अपीलांट संख्या 2 व 3 से जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 09.10.2014 द्वारा खरीद किया है। वक्त खरीद से ही रेस्पौ0 का उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में भी एक वाद अपीलांट द्वारा किया हुआ है। जिसमें दिनांक 18.09.2015 को स्थगन आदेश खारिज होने पर रेस्पौ0 का इंतकाल दर्ज व स्वीकार हुआ है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 18.09.2015 से स्थगन खारिज होने पर इंतकाल दर्ज किया गया है। मूल वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में विचाराधीन है। प्रकरण व बयनामें के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पौ0 संख्या 2, 3 के हिस्से अनुसार आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। रजि0 बयनामा दिनांक 09.10.2014 किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है एवं प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में विचाराधीन होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)